

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला

नाम पट्टूराम बनाम भूमिधारी

व मुकदमा दावा मुकदमा नं० 75 सन् 2020

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
28/04/20	<p>वादी की ओर से वकील श्री राजनारायण राम ने वाद पत्र पेश किया। रिपोर्ट सहित लाी गयी। वाद पत्र दर्ज कराया गया। प्रतिवादीगण को जमाने का आदेश दिया गया। अतः अहकाम जारी किया जा रहा है। दिनांक 27/08/20 को पेश हो।</p>	<p>तामिल 897 29/07/2020</p>
27/8/2020	<p>वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रिखल तस्वीरों के साथ जाने पर पत्रावली कोविड -19 संक्रमण के कारण पेशी से तयब की जाकर आज पेश हुई। प्रतिवादीगण तामील सम्पन्न स्व से होकर लोडने के बावजूद अभी ओर से कोई हाकिम सुदालत नहीं। अतः प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वास्तु बहस पत्रावली दिनांक 28/10/2020 को पेश हो।</p>	
28/10/2020	<p>पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी अस्वित। प्रकरण में बहस वकील वादी सुनी गई। वरकम बहस वकीलवादी ने अपने पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराने हुए मुताबिक अनुचित कार्यवाही करने का निवेदन किया।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं बहस वकीलवादी पर सकार मन्न किया गया। चूंकि प्रती ने अपने वाद पत्र के सम्बन्ध में जमाने, आदेश कार्ड, राजपत्रादि पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र इत्यादि पेश किए हैं। सर्वप्रथम शांति पंचायत द्वारा श्री वरी द्वारा अनुचित को अपने प्रमाण-पत्र के द्वारा तारीफ की है। अतः उक्त तथ्यों के प्रमाण में वा-वरी स्वीकार किया जाकर दोषों की</p>	



तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर  
आंक  
हुकम  
में

जाली हैं कि:-

आदेश

तन ग्राम पदमपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज.)  
में अवस्थित कृषि भूमि नम्बर 81 में वादी के मृत  
पिता छोटा की वसियत में उसके जाइन्दा पिता "गांगा"  
के स्वाम पर उसके दत्तक पिता "बालुराम" दुरुस्त किया  
जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हो  
एवं तदनुसार प्रकरण में पर्चा डिफ्री मुस्तीब जारी हो।  
पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तब  
बाद आवश्यक कार्यवाही शामिल फ़ैसल रिकार्ड हो।  
यह निर्णय आज दिनांक 28/10/2020 को मेरे द्वारा  
हस्ताक्षरित कर न्यायालय मुद्रा सहित खुले न्यायालय  
में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)

RAJ

उपजज अतिरिक्त

खण्डेला (सीकर)



# डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

खण्डेला

व इजलास

श्री राकेश कुमार

1. पद्मुराम पुत्र छोट्टाराम पौत्रगण \* बनाम 1. भूमिधारी तहसीलदार \*

दावा बाबत दावा

मुकदमा नं. 75 सन 2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु श्री राकेश कुमार

व हाजिरी श्री भजनराम (एडव) गिनजानिब मुद्दई रुबरु

गिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि

तब ग्राम पदमपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर (राजपू) में अवस्थित कृषि भूमि नम्बर 82 में वादी के मृतक पिता छोट्टा की वलियत में उसके जाइन्दा पिता "गांगा" के खान पर उसके दत्तक पिता "बालुराम" पुस्त किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलकरामद हो।

निज  मुबलिय  बाबत

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह  फीसदी  आज की तारीख से तारीख अदायगी तक  का अदा करें।

बसन्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28 माह 10 सन 2020 को

जारी की गई।



(राकेश कुमार)  
दस्तखत RAJ  
उपखण्ड अधिकारी  
खण्डेला (सीकर)

	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुताफरिक		
मुताफरिक					

गीजान

गीजान


1. \* बाबुराम जाति जाट निवासी टाणी गंगा सागर तन बिहारीपुर तहसील  
खण्डेला जिला सीकर राज.

बनाम

— वादी

खण्डेला

— प्रतिवादी



(राकेश कुमार)  
RAS  
उपखण्ड अधिकारी  
खण्डेला (सीकर)  
खण्डेला, सीकर